रजिस्ट्री सं. डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 222] नई दिल्ली, शनिवार, मई 28, 1977 ज्येष्ठ 7, 1899
No. 222] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 28 1977 JYAISTHA 7 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 28th May 1977

S.O. 372(E)—Whereas Messrs Alexandra Jute Mills Limited, Calcutta, owning an industrial undertaking is being wound up by the Calcutta High Court and the business of this company is not being continued,

And whereas the Central Government is of opinion that it is necessary in the interests of the general public and, in particular, in the interests of production of jute articles, to investigate into the possibility of re-starting the aforesaid industrial undertaking;

And whereas on application made by the Central Government to the Calcutta High Court praying for permission to make an investigation into such possibility, the Calcutta High Court has granted the permission;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by section 15A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) the Central Government hereby appoints Shri K. K. Chatterjee, Industrial Adviser in the Office of the Jute Commissioner, Calcutta, for the purpose of making investigation into the possibility of re-starting the aforesaid industrial undertaking

[No. F. 3/8/77-CUC]
D. K. SAXENA, Jt. Secy.

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 28 मई, 1977

का०आ० 372(अ) —कलकत्ता उच्च न्यायलय द्वारा मैसर्स श्रीकृजांद्रा जूट मिल्स लिमिटेड, कलकत्ता, जो कि एक औद्योगिक उपक्रम की स्वामी है, परिसमापित की जा रही है, और इस कम्पनी का कारोबार जारी नहीं रखा जा रहा है ;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि जनसाधारण के हित में, तथा विशेष रूप से जूट की वस्तुओं के उत्पादन के हित में यह आवश्यक है कि उपरोक्त औद्योगिक उपक्रम को पुनः आरम्भ करने की सम्भावना की जांच की जाए ;

और केन्द्रीय सरकार द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय को किये गये आवेदन पर, जिसने ऐसी सम्भावना की जांच करने की अनुज्ञा देने की प्रार्थना की गई थी, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अनुज्ञा प्रदान कर दी है ;

अतः, अब औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, उपरोक्त औद्योगिक उपक्रम को पुनः आरम्भ करने की सम्भावना की जांच के प्रयोजन के लिये श्री ए० के० चटर्जी, औद्योगिक परामर्शी, जूट आयुक्त का कार्यालय कलकत्ता, को इस आदेश के द्वारा नियुक्त करती है ।

[सं० फा० 3/8/77—टी यू सी]

दिनेश किशोर सक्सेना, संयुक्त सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977